सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 15, रविवार, शाके 1945-अगस्त 06, 2023 *Sravana 15, Sunday , Saka 1945- August 06, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 05, 2023

संख्या प. 9(18)राज-1/2022-(10) :- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न प्रकार आदेश प्रदान करती है:-

<u>जिलों का गठन/पुनर्गठन</u>

1. खैरथल-तिजारा- अलवर जिले का पुनर्गठन किया जा कर नया जिला खैरथल-तिजारा गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय खैरथल होगा।

नवगठित खैरथल-तिजारा जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती है:-

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
खैरथल-तिजारा	1. तिजारा	तिजारा
	2. किशनगढ़बास	किशनगढ़बास
		खैरथल
	3. कोटकासिम	कोटकासिम
		हरसोली
	4. टपूकडा	टपूकडा
	5. मुंडावर	मुंडावर

2.कोटपूतली-बहरोड- जयपुर एवं अलवर जिलों का पुनर्गठन किया जा कर नया जिला कोटपूतली-बहरोड़ गठित किया जाता है।

मिनी सचिवालय भवन के तैयार होने तक मुख्यालय अस्थाई रूप से कोटपूतली रहेगा।

नवगठित कोटपूतली-बहरोड जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती है:-

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
कोटपूतली-बहरोड	1. बहरोड़	बहरोड़
	2. बानसूर	बानसूर
	3. नीमराना	नीमराना
		मांढण
	4. नारायणपुर	नारायणपुर

	5. कोटपूतली	कोटपूतली
	6. विराटनगर	विराटनगर
	7. पावटा	पावटा

3. अलवर-पुनर्गठित अलवर जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी:-

जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
अलवर	1. अलवर	अलवर
	2. गोविन्दगढ़	गोविन्दगढ़
	3. रैणी	रैणी
	4. लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़
	5. मालाखेड़ा	मालाखेड़ा
	6. राजगढ	राजगढ
		टहला
	7. रामगढ	रामगढ
		नौगावा
	8. थानागाजी	थानागाजी
		प्रतापगढ
	9. कठूमर	कठूमर

यह अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 से प्रभावी होगी।

अपर्णा अरोरा,
अतिरिक्त मुख्य सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।